

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : 3 (2)राज-6/2003/104

जयपुर, दिनांक 19/9/19

परिपत्र

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251-A के तहत निजी खातेदारी भूमि में से काश्तकारों को रास्ता उपलब्ध करवाने संबंधी प्रावधान किए हुए हैं। धारा 251-A के तहत उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण 90 दिन में किए जाने के प्रावधान हैं। यह जानकारी में आया है कि उपखण्ड अधिकारियों द्वारा 90 दिन में ऐसे प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है और अनेके ऐसे प्रकरण निस्तारण से शेष हैं। अतः सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि धारा 251-A में लंबित प्रकरणों का निस्तारण आवश्यक रूप से 90 दिवस की अवधि में किया जायें।

भवदीय,
19.9.19
(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
8. राविरा, राजस्व मंडल, अजमेर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-5) विभाग को पोर्टल पर अपलोड किए जाने के हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

19.9.19
शासन उप सचिव